भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3870
दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल को संदूषित करने वाले खनिज पदार्थ

3870. श्री राजकुमार धूतः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा अन्य खनिज पदार्थों से संदूषित जल जिसका उपयोग महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में बड़ी आबादी द्वारा पीने के लिए किया जा रहा है, के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरों की अतिसंवेदनशीलता की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो अब तक पहचान किए गए क्षेत्रों तथा पाकेट का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) प्रभावित जनसंख्या तथा अतिसंवेदनशीलता की सीमा का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे खतरों से मनुष्यों तथा जानवरों को बचाने के लिए किए गए या किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) जी, हाँ।
(ख) और (ग) महाराष्ट्र सहित राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर 28 मार्च, 2018 तक प्रदत्त सूचना के अनुसार फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह, लवणत्ता, नाइट्रेट और भारी धातु प्रभावित बसावटों की आबादी सहित राज्यवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। ग्रामीण आबादी तक स्वच्छ पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए, यह मंत्रालय केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकारें ही ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध

कराने के लिए स्कीमों की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने, अनुमोदित करने एवं कार्यान्वित करने तथा प्रचालन व रखरखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग कवरेज के लिए तथा प्रभावित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है।

आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिए, नीति आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) और सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए मार्च, 2016 में 1,000 करोड़ रु. जारी किए थे।

इसके अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को 4 वर्षों की अवधि में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निधियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन आरंभ किया था।

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3870 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर 28 मार्च, 2018 तक प्रदत्त सूचना के अनुसार फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह, लवणत्ता, नाइट्रेट और भारी धातु प्रभावित राज्यवार बसावटों की आबादी सहित संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	बसावटों और आबादी की संदुषणवार संख्या													
		फ्लोराइड		आर्सेनिक		लौह		लवणत्ता		नाइट्रेट		भारी धातु		कुल	
		बसावटें	आबादी	बसावटें	आबादी	बसावटें	आबादी	बसावटें	आबादी	बसावटें	आबादी	बसावटें	आबादी	बसावटें	आबादी
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	348	228702	0	0	1	2729	62	72678	6	13878	0	0	417	317987
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	31	5690	0	0	0	0	0	0	31	5690
4	असम	285	113837	4514	1700194	6213	2331182	0	0	0	0	7	4693	11019	4149906
5	बिहार	898	1100274	871	1322376	2443	2407628	0	0	0	0	0	0	4212	4830278
6	छत्तीसगढ़	403	126232	19	7335	728	159195	2	753	10	2104	0	0	1162	295619
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हरियाणा	118	296163	0	0	0	0	9	13673	0	0	0	0	127	309836
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	4	9586	0	0	12	25699	0	0	0	0	0	0	16	35285
12	झारखंड	534	250846	101	90950	2183	626351	3	969	4	1723	0	0	2825	970839
13	कर्नाटक	579	392122	4	3221	77	54532	40	26494	318	283106	1	132	1019	759607
14	केरल	34	80427	0	0	199	455072	96	189257	32	82557	0	0	361	807313
15	मध्य प्रदेश	171	73219	0	0	5	1387	10	8488	0	0	0	0	186	83094
16	महाराष्ट्र	75	148788	0	0	17	30712	92	143658	88	207320	0	0	272	530478
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0	32	10637	0	0	0	0	0	0	32	10637
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0	30	16303	0	0	0	0	0	0	30	16303
21	ओडिशा	104	29960	0	0	2543	822236	377	115819	0	0	0	0	3024	968015
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	298	356585	698	874208	267	234935	14	10845	143	163952	2106	2611093	3526	4251618
24	राजस्थान	5996	4094562	0	0	5	4123	12606	2853550	1050	818697	0	0	19657	7770932
25	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	0	0	0	0	171	83997	22	8475	0	0	0	0	193	92472
27	तेलंगाना	681	931702	0	0	36	48492	182	314066	145	218560	0	0	1044	1512820
28	त्रिपुरा	0	0	0	0	2538	1192587	0	0	0	0	0	0	2538	1192587
29	उत्तर प्रदेश	179	310011	748	573767	362	374055	80	47203	10	20112	0	0	1379	1325148
30	उत्तराखंड	0	0	0	0	13	66083	0	0	3	12810	0	0	16	78893
31	पश्चिमी बंगाल	1317	825984	9888	10403120	5701	5344528	474	361947	0	0	270	161623	17650	17097202
कुल		**12024**	**9369000**	**16843**	**14975171**	**23607**	**14298153**	**14069**	**4167875**	**1809**	**1824819**	**2384**	**2777541**	**70736**	**47412559**